न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 12 / 2022

श्री हेमेन्द्र सिंह शक्तावत निवासी 15 पटेल नगर एसबीआई के पास देवली जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रट टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.04.2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.2.2022 प्रेषित / प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 226 दिनाक 16.03.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रट टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

मेरे द्वारा 23.12.2021 को नगर पालिका देवली EO के खिलाफ शिकायत की थी जिसके साथ भूखण्ड के सभी दस्तावेज भी संलग्न थे, इस विषय में क्या कार्यवाही की गई। प्रति देवे।

नगर पालिका देवली EO द्वारा क्या जवाब दिया गया। प्रति देवे

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रट टोंक को पत्र कमांक 503 दिनांक 06–04–2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रट टोंक द्वारा पत्र कमांकः सामान्य / आरटीआई / 2022 / 2859 दिनांक 12–04–2022 से जवाब प्रेषित कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र संलग्न नही होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती थी, जिसके संबंध में तत्समय ही अपीलार्थी को पत्र कमांक 2357 दिनांक 30.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है।

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रट टोंक को पुनः पत्र कमांक 511 दिनांक 13–04–2022 से अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रट टोंक द्वारा पत्र कमांकः

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

सामान्य/आरटीआई/2022/2999 दिनांक 19–04–2022 से पुनः जवाब प्रेषित किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती थी। जिसके संबंध में तत्समय ही अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2357 दिनांक 30.03.2022 द्वारा सूचना प्राप्त करने बाबत् सूचित किया गया है, जिसकी प्रतियां जवाब के साथ संलग्न की गई है।

हमने पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, पत्राधि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रट टोंक ने न्यायालय हाजा द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति प्रेषित करने के उपरान्त भी अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना निर्णय की प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested